(9)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 70/2010

बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

हेमराज पुत्र छोटूलाल माली निवासी–किशनगंज
थाना–किशनगंज जिला–बारां **(गैरसायल)**

अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. **(सायल)**
2– श्री श्याम पालीवाल, अभिभाषक **(गैरसायल)**

निर्णय दिनांक– 04.09.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल हेमराज पुत्र छोटूलाल माली निवासी–किशनगंज थाना–किशनगंज जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी किशनगंज जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि थाना किशनगंज क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल हेमराज की आम शोहरत खराब है। इसके विरूद्व थाना किशनगंज में जुआ–सट्टा के 9 प्रकरण एवं अवैध शराब की तस्करी एवं किकी के 2 कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जा चुका है। इस अपराधी की गतिविधियॉ निरन्तर जारी है व जुआ सट्टा व अवैध शराब में सन्लिप्त है। अतः अपराधिक प्रवृत्ति से क्षेत्र में भय व आंतक व्याप्त है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में कानूनी एवं शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपराधी का स्वतंत्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर नहीं है।

अतः गैरसायल हेमराज पुत्र छोटूलाल माली निवासी–किशनगंज थाना–किशनगंज जिला बारां की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण रखने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:27 IST
Reason: SelfAttested

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल की तलबी

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

की गई। गैरसायल दिनांक 10.11.2010 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 30.11.2010 को जवाब नोटिस पेश किया। जवाब मे कथन किया है कि नोटिस विधि विरूद्व, असत्य एवं निराधार तथ्यों पर आाारित होने से अस्वीकार है। नोंटिस में दर्शाये गये मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में प्रार्थी के विरूद्व किसी भी थाने में कोई आपराधकि प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी के बुजुर्ग माता पिता एवं बाल बच्चे है तथा परिवार में प्रार्थी की एक मात्र कमाने वाला व परिवार सम्भलाने वाला व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी के विरूद्व गुडा एक्ट की कार्यवाहीं अमल में लाया जाना उचित नहीं है। अतः नोटिस की कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

गैरसायल का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में अभियोजन पक्ष की शहादत पी. डब्ल्यु. 1 श्री श्री रामेश्वर परिहार हाल एस.एच.ओ. कोटा व पी.डब्ल्यु. 2 श्री बृजेश मीणा हाल एस.एच.ओ. आदर्श नगर, जयपुर ली गई तथा गैरसायल की ओर से साक्ष्य डी.डब्ल्यू–1 श्री महावीर प्रसाद पुत्र हीरालाल मेहर नि. किशनगंज व डी.डब्ल्यू.–2 श्री महेन्द्र सुमन पुत्र नंदलाल सुमन माली नि. किशनगंज ली गयी। तदुपरान्त बहस ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार एवं अभिभाषक गैरसायल सुनी गई।

बहस के दौरान ए.पी.पी. का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में जुआ सट्टा खेलने खिलानें व शराब की तस्करी व बिक्री करने संबंधी 11 दर्ज हुये है, जिसमें गैरसायल को दोषसिद्व किया गया है। इसके आचरण से समाज में भय व आतंक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य तथा निर्णित प्रकरणों मे सजा होने से यह साबित है कि गैरसायल आदतन अपराधी है, जो गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावें।

इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस्तगासे मे वर्णित प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। वर्तमान में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है जिन प्रकरणों का हवाला देकर प्रकरण दर्ज कराया गया है, वह सभी सामान्य प्रवृत्ति के है जिनके आधार पर गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उसके विरूद्व वर्ष 2017 के बाद किसी भी न्यायालय में किसी भी धारा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना हाजा ने जो प्रकरण दर्ज बताये है वह भी निर्णित हो चुके है वह शांतिपूर्वक आम आदमी की तरह मजदूरी करके अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है। थाना–किशनगंज ने जानबूझ कर बिना किसी आधार के उसके विरूद्व इस्तगासा पेश किया है। उसके विरूद्व वर्ष 2017 के पश्चात् कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। जो थानाधिकारी किशनगंज की रिपोर्ट, उपलब्ध रेकार्ड व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से भी प्रमाणित होता है। गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के प्रावधानों के तहत गुण्डा घोषित किये जाने से पूर्व 6 माह में प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है। जबकि उसके विरूद्व गत दो वर्ष से कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। प्रार्थी सदाचार, सचरित्र होकर जीवनयापन कर रहा है। इस्तगासा नोटिस निराधार व विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने ए.पी.पी. व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी व प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया तथा बयान अभियोजन सरकार पक्ष व गैरसायल पक्ष पर मनन किया।

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

(11)

पाया जाता है कि इस्तगासे में गैरसायल के विरूद्व 11 प्रकरण दर्ज हुये है, इन सभी प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। गैरसायल के विरूद्व जो प्रकरण दर्ज हुए है वह सभी प्रकरण वर्ष 2017 के पूर्व के है। अभिभाषक का कथन है कि यदि छः माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तो गुण्डा अधिनियम के तहत उसे गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति से प्रतीत होता है कि गैरसायल की वर्तमान में आम शोहरत ठीक है तथा वर्ष 2017 के पश्चात् कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। गैरसायल वर्तमान में एक शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप मे रह रहा है, इसकी पुष्टि गैरसायल के साक्ष्य डी.डब्ल्यु. 1 व डी. डब्ल्यु.2 से होती है।

अतः स्पष्ट है कि गैरसायल के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुये है व निर्णित हो चुके है। इसके बाद गैरसायल के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी, लडाई झगडा, सट्टा लगाने व शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को गुण्डा घोषित नही किया जा सकता। इसलिये राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत इस्तागासे को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा गैरसायल हेमराज पुत्र छोटूलाल माली निवासी–किशनगंज थाना–किशनगंज जिला बारां (राज.) के विरूद्व प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का इस्तगासा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां व थानाधिकारी, थाना–किशनगंज को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट बारां
जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:27 IST
Reason: SelfAttested